

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-171/सत्तर-1-2018-11(21)/2005
लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018


अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :

अतएव अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2018 तक के लिए, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2- उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,


(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-175/सत्तर-1-2018-11(21)/2005
लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और उनके घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या-171/सत्तर-1-2018-11(21)/2005 दिनांक 08 मार्च, 2018 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 2- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 7- कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा व्यापक रूप से परिचालित हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में उक्त अधिसूचना को प्रसारित कराने का कष्ट करें।
- 10- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 11- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के समस्त घटक महाविद्यालयों, सहयुक्त महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद)।
- 12- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशवाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय तथा गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- 13- निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।